भर्ती के लिए सीईटी पास 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, अतिरिक्त अंक नहीं मिलेंगे

हरियाणा मंत्रिमंडल के फैसले : बारिश और ओलों से खराब फसलों का मुआवजा देगी सरकार

अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। हरियाणा के लाखों बेरोजगार युवाओं का इंतजार अब खत्म होने वाला है। सरकार जल्द ही सीईटी परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर सकती है। इसके लिए हरियाणा मंत्रिमंडल ने सीईटी (संयुक्त पात्रता परीक्षा) पॉलिसी में संशोधन को मंजूरी दे दी है।

शनिवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर मुहर लगाई गई। इसके तहत अब अभ्यर्थियों को आर्थिक व सामाजिक आधार पर अतिरिक्त पांच अंक नहीं मिलेंगे। दूसरा, विज्ञापित पदों के मुकाबले अब 4 गुना के स्थान पर 10 गुना सीईटी पास करने वाले अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। हरियाणा पुलिस, कारागार विभाग और होमगार्ड की भर्ती भी सीईटी के तहत होगी। हालांकि, शिक्षक, भूतपूर्व अग्निवीर और ग्रुप डी के वे पद जिसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा दसवीं से कम है, वे सीईटी से बाहर होंगे।

इसके अलावा, पिछले दो दिन में हुई बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों के नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि जिलावार उपायुक्तों से रिपोर्ट मंगवाई जाएगी और नुकसान के आकलन के लिए ई-क्षति पोर्टल खोला जाएगा। सरकार ने हरियाणा के सभी डीसी से इसको लेकर रिपोर्ट भी तलब की है।

शहीद होने वाले सैनिकों व सीआरपीएफ के जवानों के आश्रितों को भी सरकार अब एक करोड़ रुपये मुआवजा देगी। इससे पहले, यह राशि 50 लाख रुपये थे। इस राशि को बढ़ाए जाने को लेकर पहले ही मुख्यमंत्री घोषणा कर चुके हैं, जिसे अब लागू किया गया है। हरियाणा से संबंधित केंद्रीय सशस्त्र बल कर्मियों को यह अनुग्रह अनुदान दिया जाता है। वहीं, पहले से ही घोषित हिंदी आंदोलन के सत्याग्रहियों को मिलने वाली 15 हजार रुपये मासिक पेंशन को बढ़ाकर 20 हजार रुपये मासिक किया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 31 प्रस्ताव रखे गए थे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम पॉलिसी में संशोधन में कमी होने के चलते उसे स्थगित कर दिया गया। बाकी 30 प्रस्ताव पारित कर दिए गए। इससे पहले, बैठक की शुरुआत में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह व पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के निधन पर शोक जताया गया।

सीएम नायब सिंह सैनी। एजेंसी

- शहीद सैनिकों के परिवारों को एक करोड़ मुआवजा देगी सरकार
- हिंदी आंदोलन के सत्याग्रहियों को मिलेंगे 20 हजार रुपये

2022 से नहीं हो पाया सीईटी, सीएम सैनी ने कहा- जल्द शेड्यूल जारी करेंगे

सीईटी को लागू करने के बाद सरकार ने दावा किया था कि सीईटी हर साल होगी, लेकिन 2022 के बाद यह परीक्षा नहीं हो पाई। प्रदेश के 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा के इंतजार में बैठे हैं। आर्थिक-सामाजिक श्रेणी के तहत मिलने वाले पांच अतिरिक्त अंकों के खिलाफ कुछ अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट ने इन अंकों को खारिज कर दिया था। इसके बाद से सीईटी की पालिसी में संशोधन की प्रक्रिया चल रही थी। शनिवार को सीईटी पालिसी के संशोधन पर मुहर लग गई है।

13 लाख युवाओं का इंतजार होगा खत्म

- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि संशोधन कर लिया गया है, अब जल्द ही सीईटी परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भर्ती रोको गैंग के लोग आर्थिक सामाजिक अंकों के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए थे। वे चाहते थे कि गरीब को पांच नंबर का लाभ नहीं मिलना चाहिए। हाईकोर्ट ने 5 अंकों को खारिज कर दिया था, इसलिए हमने पॉलिसी से इसे हटा दिया है।
- सीईटी ग्रुप सी और डी पदों के लिए होती है और इनमें साक्षात्कार नहीं है, बल्कि परीक्षा में आए अंकों के आधार पर ही चयन होता है।

भिवानी, फतेहाबाद, रेवाड़ी व हिसार में हुआ ज्यादा नुकसान, पोर्टल खुलेगा

सीएम सैनी ने कहा कि प्राथमिक आंकलन में सामने आया है कि भिवानी जिले के तोशाम, लोहारू, बवानीखेड़ा, फतेहाबाद जिले के फतेहाबाद, रतिया, भट्टू कलां, हिसार जिले के नारनौंद व हांसी, महेंद्रगढ़ व नारनौल, रेवाड़ी जिले में बावल व हथीन सहित कनीना के क्षेत्र में ओलावृष्टि से फसलों को अधिक नुकसान हुआ है।

- कांग्रेस, इनेलो समेत किसान संगठन लगातार हो रही बारिश से हुए नुकसान को लेकर विशेष गिरदावरी की मांग कर रहे हैं।

मृत्यु या सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली ग्रेच्युटी में 25% बढ़ोतरी

राज्य सरकार के कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए मृत्यु सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में 25 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी, जिससे सीमा 20 लाख से रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है। यह निर्णय 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

- बिल्डरों पर कसा शिकंजा, ईडीसी की दरें बीस प्रतिशत बढ़ाई।
- हरियाणा लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग व रिटेल नीति 2019 के विस्तार को मंजूरी
- हरियाणा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचएमआरएस) पोर्टल पर होगा कर्मियों का पूरा डाटा, एचआरएमएस प्रारूप को मंजूरी।
- हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम में संशोधन करने की मंजूरी >> पेज 2

हरियाणा सरकार ने सीईटी पॉलिसी में किया संशोधन, अब 10 गुना सीईटी पास उम्मीदवारों को किया जाएगा शॉर्टलिस्ट

डॉ. सुरेंद्र धीमान/सवेरा ब्यूरो

चंडीगढ़, 28 दिसंबर : हरियाणा सरकार ने सीईटी में संशोधन किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शनिवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रुप-सी और डी पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टैस्ट (सीईटी) के स्टेज एक नीति, 2022 में संशोधन को मंजूरी दी। अब ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी पास उम्मीदवारों में से विज्ञापित पदों का 10 गुना को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके साथ ही दैनिक सवेरा की खबरों पर मोहर लग गई है। दैनिक सवेरा ने लगातार खबरें प्रकाशित कर सूचना दी थी कि 10 गुना को शॉर्टलिस्ट करने का प्रस्ताव है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दैनिक सवेरा ने पूछा कि सीईटी पॉलिसी में संशोधन करने का एजेंडा मंत्रिमंडल की बैठक में था? पहले चार गुना को शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान था तो क्या अब उसे 10 गुना किया गया है? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जवाब दिया कि सीईटी में संशोधन किया गया है। अब विज्ञापित पदों का 10 गुना को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

हरियाणा मंत्रिमंडल ने संशोधन को दी मंजूरी, दैनिक सवेरा की खबरों पर लगी मोहर

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल की बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए।

अब सीईटी पॉलिसी संशोधन नियम, 2024 बने

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि इस नीति को सामान्य पात्रता परीक्षा के माध्यम से ग्रुप सी और डी पदों पर भर्ती के लिए नीति(संशोधन) नियम, 2024 कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि संशोधनों के अनुसार, हरियाणा के मूल (बोना-फाइड) निवासियों के लिए प्रदान किए गए सामाजिक आर्थिक मानदंडों हेतु पांच प्रतिशत वेटेज को हटा दिया गया है। उक्त संशोधन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार किए गए हैं।

शिक्षक पद, अग्निवीर, ग्रुप डी के कुछ पदों को सीईटी से छूट

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि सरकारी विभागों या किसी बोर्ड, निगम, वैधानिक निकाय या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली और नियंत्रित किसी अन्य एजेंसी में, राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित किसी विश्वविद्यालय में पुलिस सर्विस, जेल, गृह रक्षक समेत ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा नीति, (संशोधन) नियम, 2024 लागू होगी। मगर शिक्षण पद, भूतपूर्व अग्निवीर और ग्रुप डी के वे पद शामिल नहीं होंगे, जिनके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी (भर्ती और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (2018 का 5) के तहत 10वीं से कम है। राज्य सरकार ने आम जनता का विश्वास हासिल करने और बनाए रखने तथा हरियाणा सरकार में पदों पर विश्वसनीय और भरोसेमंद भर्तियां सुनिश्चित करने और ग्रुप-सी और डी के सभी सीधी भर्ती के पदों पर सरकारी रोजगार के लिए भर्ती प्रक्रिया को मानकीकृत करने के उद्देश्य से 5 मई 2022 को ग्रुप-सी और डी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा शुरू की थी।

(एमपीएचडब्ल्यू सेवा नियम, जॉब सिक्योरिटी अधिनियम में संशोधन और अन्य संबंधित खबरें अंदर के पृष्ठ पर)